

21

कैन्टोनमेंट बोर्ड बरेली

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कैन्ट एक्ट 2006 की धारा 267 के प्रावधानों के अन्तर्गत बरेली छावनी के सब्जी मण्डी/सी0एफ0 मार्केट, सदर बाजार एरिया में स्थित 07 नं0 खाली दुकानों/यूनिट (टीन शेड) की 364 दिनों की अवधि हेतु लाइसेन्स बेसिस पर कैन्ट बोर्ड की स्वीकृति के अनुरूप सामान्य व्यवसाय करने के लिए कैन्ट बोर्ड कार्यालय में दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को पूर्वान्ह 11:30 बजे से सार्वजनिक नीलामी की जायेगी ।

2. इच्छुक व्यक्ति/बोली दाता नियमानुसार नीलामी में भाग ले सकते हैं । उपरोक्त दुकानों के चिन्हित स्थल का इच्छुक व्यक्ति/बोलीदाता कैन्ट बोर्ड कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर निरीक्षण कर सकते हैं एवं सम्बन्धित विवरण एवं नियम व शर्तों को कार्यालय नोटिस बोर्ड में देखा जा सकता है । सार्वजनिक नीलाम में सम्मिलित होने से पूर्व आवेदनकर्ता को कैन्ट बोर्ड कार्यालय के किसी भी कार्यदिवस में आकर उपलब्ध आवेदन फार्म को पूर्ण भरकर एवं निर्धारित दस्तावेजों के साथ नियम व शर्तों पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क रू0 250/- एवं अग्रिम धनराशि (EMD) रू0 5,000/- (दुकान सं0 1, 2, 6 एवं 7 हेतु) एवं अग्रिम धनराशि (EMD) रू0 10,000/- (दुकान सं0 3, 4 एवं 5 हेतु) नकद जमा करना होगा ।

3. नीलामी से सम्बन्धित नियमों व शर्तों की सम्पूर्ण जानकारी छावनी परिषद बरेली कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है ।

4. मुख्य अधिशासी अधिकारी/कैन्ट बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी को किसी भी आवेदन फार्म/बोली गयी राशि को बिना किसी कारण के स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।

पत्रांक : सीबीबी/नीलाम/राजस्व/ई0-3

दिनांक: 01 अक्टूबर, 2019

(डा0 अनुपम तलवार)

(DR. ANUPAM TALWAR)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
Chief Executive Officer
बरेली छावनी परिषद
Bareilly Cantonment Board

प्रतिलिपि :-

01. सम्पादक,
दैनिक जागरण प्रेस ।
02. सम्पादक,
हिन्दुस्तान प्रेस ।
03. कार्यालय नोटिस बोर्ड
04. कम्प्यूटर प्रोग्रामर ।

कृपया उक्त विज्ञप्ति अपने दैनिक समाचार पत्र में एक कॉलम स्पेस में डी0ए0वी0 दरों पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें ।

कैन्ट बोर्ड की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।